न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 181/2024 अपील (GCMS 2024/229)
पंजीयन दिनांक- 20/09/2024
निर्णय दिनांक- 26/12/2025

1. श्री शांतिलाल पिता नाथूलाल ब्राह्मण, निवासी टीकड, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।

-अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती नोजीबाई पुत्री जोरा ब्राह्मण, निवासी टीकड, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
2. श्रीमती भग्गूबाई पुत्री जोरा ब्राह्मण, निवासी टीकड, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
3. श्रीमती सुंदरबाई पुत्री जोरा ब्राह्मण, निवासी टीकड, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
4. श्रीमती लीला पुत्री शंकर ब्राह्मण, निवासी टीकड, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
5. श्रीमती गंगा विधवा शंकर ब्राह्मण, निवासी टीकड, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
6. ग्राम पंचायत खाखरमाला, पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-
1. श्री सम्पतलाल बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद के
प्रकरण संख्या 03/2019 निर्णय दिनांक 31.07.2024

<u>निर्णय</u>

दिनांक 01/12/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट,

जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 03/2019 निर्णय दिनांक 31.07.2024 के विरूद्ध दिनांक 10.09.2024 को प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 337 निर्णय दिनांक 20.04.2009 ग्राम पंचायत खाखरमाला, तहसील आमेट के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि स्व. हीरी बेवा जोरा के सजरे में अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 वारिसान के रूप में नहीं आते है। हीरी बाई की मृत्यु दिनांक 21.07.2008 को होना एवं पटवारी द्वारा दिनांक 18.12.2008 को नामांतरकरण भरना दर्शित होता है, जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 12.02.2009 को की थी, इन तीनों ही तारीखों से गणना की जावे तो 45 दिवस पश्चात् ग्राम पंचायत को सुनवाई की अधिकारिता नहीं रहती है। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 337 की पृष्ठ पर नामांतरकरण खोलने की स्वीकृति बाबत आदेश लिखा है। अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम हीरीबाई के वारिसान के रूप में बताने व अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम नामांतरकरण में स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होकर स्वीकृत नामांतरकरण में अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम होने से अपीलाधीन नामांतरकरण अवैद्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 03/2019 निर्णय दिनांक 31.07.2024 से रेस्पोडेंट्स की अपील स्वीकार कर ग्राम खाखरमाला के नामांतरकरण संख्या 337 निर्णय दिनांक 20.04.2009 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, आमेट को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.04.2009 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- *"उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत, खाखरमाला द्वारा पारित आदेश राजस्व ग्राम टीकर नामांतरकरण संख्या 337 दिनांक 20.04.2009 को खारिज करते हुए इस निर्देश के साथ तहसीलदार, आमेट को रिमाण्ड किया जाता है कि समुचित जांच कर दोनो पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नामांतरकरण पुनः फैसल करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, आमेट को भेजी जावें। तद्नुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ता की बहस दिनांक 19.12.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि प्रकरण में कोटेश्वर महादेव खातेदार को पक्षकार बनाये बिना अपील मेंटीनेबल ही नहीं है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सन् 1991 में परिपत्र जारी किया गया कि देवता की भूमि को केवल देवता के नाम ही रखी जावे व देवता की भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही की जावे तो देवता को पक्षकार बनाया जावें। इस प्रकरण में कन्नीबाई पुत्री जोरा का दौराने अपील स्वर्गवास हो चुका था, उसके चार वारिस थे, पंरतु वारिसों की नाम कायमी नहीं कराई गई, जिससे अपील अबेट हो चुकी थी तथा अपील का निस्तारण अबेटमेंट के आधार पर किया जाना चाहिए था। कथित अपील अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु को तय किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। कथित भूमि की वसीयत मौजूदा

अपीलांट के हक में की गई है, ऐसी स्थिति में टेस्ट्रामेंट्री सक्शेसन के आधार पर नामांतरकरण अपीलांट के नाम स्वीकृत करना चाहिए था, परंतु ऐसा नही कर प्रकरण अन्य बिन्दु पर प्रतिप्रेषित किया, जो उचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2013 (1) Page 546, RRT 2014 (1) Page 248, RRT 2011 (1) Page 421, RRT 2020 (2) Page 846, RRT 2020 (2) Page 1165, RBJ 2006 Page 1, RRT 2009 (2) Page 786, AIR 2007 RAJ. Page 73 & 238 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया गया है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 337 निर्णय दिनांक 20.04.2009 ग्राम पंचायत खाखरमाला, तहसील आमेट के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि स्व. हीरी बेवा जोरा के सजरे में अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 वारिसान के रूप में नहीं आते है। हीरी बाई की मृत्यु दिनांक 21.07.2008 को होना एवं पटवारी द्वारा दिनांक 18.12.2008 को नामांतरकरण भरना दर्शित होता है, जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 12.02.2009 को की थी, इन तीनों ही तारीखों से गणना की जावे तो 45 दिवस पश्चात् ग्राम पंचायत को सुनवाई की अधिकारिता नहीं रहती है। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 337 की पृष्ठ पर नामांतरकरण खोलने की स्वीकृति बाबत आदेश लिखा है। अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम हीरीबाई के वारिसान के रूप में बताने व अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम नामांतरकरण में स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होकर स्वीकृत नामांतरकरण में अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम होने से अपीलाधीन नामांतरकरण अवैद्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त

अपील पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 03/2019 निर्णय दिनांक 31.07.2024 से रेस्पोडेंट्स की अपील स्वीकार कर ग्राम खाखरमाला के नामांतरकरण संख्या 337 निर्णय दिनांक 20.04.2009 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, आमेट को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

हस्तगत प्रकरण में दौराने बहस अपीलांट का प्रमुख उज्र यहं रहा है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत धारा 05 मयाद अधिनियम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गयाः-

मयाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 440 में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्त का हवाला दिया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है-

(c) Limitation Act, Section 3 – Order passed behind the back of the petitioner and without notice to him – Revision is not barred by limitation.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हित प्रभावित होते है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की

संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

अपीलांट द्वारा एक मुख्य उज्र यह प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में कन्नीबाई पुत्री जोरा का अधीनस्थ न्यायालय में दौराने अपील स्वर्गवास हो चुका था, जिसके वारिसों की नामकायमी नहीं कराई गई, जिससे अपील अबेट हो चुकी थी तथा यहं अपील अबेटमेंट के आधार निर्णित की जानी चाहिए थी।

उक्त आक्षेप का न्यायालय हाजा द्वारा परीक्षण किया गया तो पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.05.2024 अनुसार अपीलांट संख्या 2 कन्नीबाई पुत्री जोरा का नाम विलोपित किया गया। अतः उक्त आक्षेप निराधार होकर मान्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं नामांतरकरण संख्या 337 का अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि कोटेश्वर महादेव स्थान देह होकर उपकृषक हिरी बेवा जोरा 1/2 व गंगा बेवा शंकर 1/2 दर्ज होना प्रकट है। हिरी बाई फौत होने के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा हिरी बाई के वारिसान को उपकृषक की हैसियत से नामांतरकरण में अंकित गया। आश्चर्यजनक रूप से ग्राम पंचायत, खाखरमाला द्वारा रेस्पोडेंट के साथ शांतिलाल पिता नाथूलाल ब्राह्मण वारिस होने से उक्त नामांतरकरण खोलने की स्वीकृति सर्वसम्मति से कौरम में दी जाती है का अंकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 में भी कोटेश्वर महादेव स्थान उपकृषक हिरीबाई बेवा जोरा 1/2, गंगा बेवा शंकर 1/2 दर्ज होना स्पष्ट है। मृतक हिरीबाई को उपकृषक की हैसियत से अपने नाम दर्ज भूमि 1/2 हिस्सा अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 2 को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था एवं वसीयत करने का भी कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि हिरीबाई को राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 के तहत कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थें। ग्राम पंचायत को इस प्रकार का नामांतरकरण स्वीकृत करने को काई अधिकार प्राप्त नहीं था।

इसके अतिरिक्त अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी निर्णय (नामांतरकरण) में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे प्रथम अपील सुनने का पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत खाखरमाला के नामांतरकरण 337 निर्णय दिनांक 20.04.2009 को निरस्त कर तहसीलदार, आमेट को प्रतिप्रेषित कर पक्षों को सुना जाकर नया नामांतरकरण दर्ज करने हेतु निर्देशत किया गया है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर नामांतरकरण संख्या 337 निर्णय दिनांक 20.04.2009 में रेस्पोडेंट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने से निरस्त करने की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2024 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में नहीं होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। **परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय सहायक

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.07.2024 को यथावत रखा जाता है।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर